तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
31 10/२	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी की अपील [illegible] जिन पत्रों [illegible] हेतु के लिये [illegible] रखे, पत्र कीया गया। पत्रावली [illegible] पुनः पेश [illegible] पेश हो। [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 01/2022
दायर दिनांक :– 01.04.2022

अनवान

श्री रामनिवास पिता लादू खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर

अपीलान्ट..........

बनाम

1. संरपच/सचिव ग्राम पंचायत जामोली तह. जहाजपुर
2. कैलाश पिता लादू खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
3. गोकुल पिता कल्याण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
4. गोपाल पिता रामचन्द्र खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
5. चन्ता पुत्री सत्यनारायण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
6. छोटी पुत्री छगना खाती पत्नि परमेश्वर खाती नि. देवली
7. अशोक कुमार पिता जगदीश खाती नि. जामोली हाल सिदरी के बालाजी कीर खेड़ा
8. दुर्गालाल पिता छगना खाती नि. जामोली
9. दिलखुश पुत्री सत्यनारायण खाती नि. जामोली हाल पत्नि मनोज खाती नि. उलेला
10. नीतू पुत्री सत्यनारायण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
11. भूरी पत्नि छगना खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
12. मथुरा देवी पत्नि सत्यनारायण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
13. मदन पिता लादू खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
14. महावीर पिता भुरालाल खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
15. रेखा पुत्री सत्यनारायण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
16. राधेश्याम पिता कल्याण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
17. राधाकिशन पिता कल्याण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
18. रामप्यारी पत्नि कल्याण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
19. रामेश्वर पिता भुरालाल खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
20. सीता पुत्री कल्याण खाती नि. जामोली तह. जहाजपुर
21. तहसीलदार जहाजपुर

रेस्पोडेंटगण..............

:: अपील नामान्तरकरण सं. 1406
फैसल दिनांक 10.01.2004 ग्राम पंचायत जामोली ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट अपीलान्ट

:: निर्णय :: दिनांक 31.10.2022

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Cmlrnay//rider

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट की अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जामोली प. ह. जामोली में स्थित आ0न0 1033/1, 1033/2, 1096/2, 1159, 1160, 743, 753 कुल किता 7 रकबा 3.1752 हैक्टेयर भूमि कैलाश पिता लादू 1/15, गोकुल पिता कल्याण 1/50, गोपाल पिता रामचन्द्र 1/10, चंता पुत्री सत्यनारायण 1/75, छोटी पुत्री छगना 1/30, जगदीश पुत्र मोती 1/5, दुर्गालाल पिता छगना 1/30, दिलखुश पिता सत्यनारायण 1/75, नीतु पुत्री सत्यनारायण 1/75, भूरी पत्नि छगना 1/30, मथुरा देवी पत्नि सत्यनारायण 1/75, मदन पुत्र लादू 1/15, महावीर पुत्र भूरा 3/20, रेखा पुत्री सत्यनारायण, राधेश्याम पुत्र कल्याण 1/50, राधाकिशन पुत्र कल्याण 1/50, रामप्यारी पत्नि कल्याण 1/50, रामेश्वर पुत्र भुरालाल 3/20, सीता पुत्री कल्याण 1/50 खाती के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है खातेदार जिसके विधिक वारिसान खातेदार जगदीश पुत्र मोती खाती फोत हो गया जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 7 है अपीलान्ट का अपने हक हिस्सेनुसार उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जे काश्त है जो कि पुश्तैनी है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 सगे भाई है, तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 12 के पति सत्यनारायण सगे भाई है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 5, 9, 10, 15 के पिता सत्यनारायण सगे भाई थे। अपीलान्ट के पिता लादू पिता काना फोत होने पर विरासत से खाता नामान्तरण सं. 1406 दिनांक 10.01.1983 को ग्राम पंचायत जामोली ने बिना पूरी विधिक वारिसान की जांच पडताल कि विधि विरूद्व अपीलान्ट का नाम छोडकर शेष तीन भाईयों के नाम विधि विरूद्व नामान्तरण खोल दिया जबकि अपीलान्ट सहित लादू पिता काना के चार जायन्दा पुरूष सन्ताने थी इस प्रकार ग्राम पंचायत जामोली ने अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही कर भारी भूल की इसलिए उक्त नामान्तरण गैर कानूनन होने से काबिल निरस्तनीय है। अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 21 भूमि स्वामी होने से पक्षकार बनाया है, इनके विरूद्व किसी प्रकार की दाद नही चाही गई है। अपीलान्ट ने कृषि ऋण लेने के लिए अपने हक की जमाबन्दी की जरूरत हुई तब जमाबन्दी की नकले निकलवाई तब ज्ञात हुआ की खसरा सं. 740, 741 में तो अप्रार्थी का जमाबन्दी में नाम दर्ज है लेकिन शेष खसरा सं. में नाम दर्ज ही नहीं है तो तहसील कार्यालय से पूरानी नकले ली फिर कोविड 19, 2019 महामारी आने से देरी हुई। इसलिए दिनांक 20.03.2022 से पहले की समया अवधि को क्षमा करवाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 का मय शपथ पत्र के पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश ईन्तकाल जेर अपील 1406 दिनांक 10.01.1983 निरस्त फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अपीलान्टगण की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जिसे शा0फा0 किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस सुनी। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करा आदेश ईन्तकाल निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। एवं अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं रिकार्ड पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सं. 2036–39 पर नामांतरण सं. 1406 के नोट एवं नामांतरण सं. 1406 दिनांक 10.01.1983 की प्रतिलिपि से स्पष्ट है, कि काना एवं काना के बाद उसके पुत्र लादू की मृत्यु के बाद विरासत से उक्त विवादित आराजी में काना के हिस्से में काना के बजाय मदन, कैलाश, सत्यनारायण के नाम दर्ज हुआ। ग्राम पंचायत जामोली द्वारा जारी सजरा अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 12 के पति तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5, 9, 10, 15 के पिता सगे भाई है। उक्त सजरा अनुसार अपीलान्ट भी अन्य के साथ लादू का वारिस है। जिससे न्यायालय अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार जहाजपुर को जांच कर पुनः नामांतरण की कार्यवाही हेतु भेजा जाना उचित समझता है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम जामोली प0 ह0 जामोली के नामान्तरकरण सं0 1406 निर्णय दिनांक 10.01.1983 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार जहाजपुर को निर्देशित किया जाता है की प्रकरण में विधिक वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner